

## परिपत्र

सीबीएसई छात्रों को दसवीं और बारहवीं कक्षा पास करने के बाद शैक्षणिक दस्तावेज जारी करता है। ये दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण हैं और इस लिए छात्रों द्वारा सुरक्षित रूप से रखे जाते हैं। हालांकि, कई बार ये दस्तावेज खो जाते हैं या कट-फट जाते हैं। इन दस्तावेजों की डुप्लिकेट प्रतियां सीबीएसई द्वारा अनुरोध पर जारी की जाती हैं

दस्तावेजों के गुम होने की समस्या को देखते हुए, सीबीएसई ने छात्रों के डिजिटलॉकर में दस्तावेजों की डिजिटल प्रतियां उपलब्ध कराने का फैसला किया, जिन्हें सीबीएसई द्वारा ही खोला गया था। छात्र डिजिटल प्रतियों की तुलना में दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को प्राथमिकता देते हैं इसलिए छात्र या उनके माता-पिता / प्रतिनिधि को अक्सर बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में दसवीं / बारहवीं कक्षा की डुप्लिकेट मार्कशीट / प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आना जाना पड़ता है।

कोविड महामारी की वर्तमान स्थितियों के दौरान, जनता के लिए दसवीं/बारहवीं कक्षा की डुप्लिकेट मार्कशीट/प्रमाण पत्र प्राप्त करने सहित किसी भी कार्य के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करना बहुत जोखिम भरा है।

इसलिए, छात्रों/अभिभावकों को क्षेत्रीय कार्यालयों में बार-बार आने से बचाकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए और "व्यवसाय में आसानी" को बढ़ावा देने के लिए, बोर्ड ने निम्नलिखित रूपों में दस्तावेज जारी करने के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन सेवाएं शुरू की हैं: -

1. दस्तावेजों की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतियां
2. मूल प्रतियों के समान दस्तावेजों की डुप्लिकेट प्रतियां

सीबीएसई ने "परिणाम मंजूषा" में 2004 की परीक्षाओं से आगे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित दस्तावेजों की सॉफ्ट कॉपी भी प्रदान की है और छात्र जब भी आवश्यक हो, बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

### डुप्लिकेट दस्तावेजों की हार्ड कॉपी जारी करने की प्रक्रिया

1. <https://cbseit.in/cbse/web/dads/home.aspx> लिंक पर आवेदन करें अथवा
2. छात्र वेबसाइट [www.cbse.nic.in](http://www.cbse.nic.in) पर लॉगऑन कर सकते हैं
  - पोर्टल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स कॉर्नर पर क्लिक करें अथवा
  - हितधारक सहायता प्रणाली
  - दस्तावेज अर्थात पास सर्टिफिकेट, मार्क-शीट और माइग्रेशन आदि जारी करने का चयन करें अथवा

- डुप्लीकेट पास सर्टिफिकेट/मार्क-शीट/माइग्रेशन आदि।
- डिजिटल दस्तावेज़ और मुद्रित दस्तावेज़ दोनों के विकल्प उपरोक्त लिंक पर भी उपलब्ध हैं। छात्र पोर्टल पर उन्हें दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।
- यदि छात्र डिजिटल दस्तावेज़ के विकल्प का चयन करते हैं, तो उन्हें डिजी-लॉकर पोर्टल पर भेज दिया जाएगा
- यदि छात्र मुद्रित दस्तावेज़ के विकल्प का चयन करता है, तो छात्र को ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए भेज दिया जायेगा।
- छात्र को इंडिया पोस्ट (स्पीड पोस्ट) या दस्ती दस्तावेज प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा।
- स्पीड पोस्ट से डिस्पैच करने का विकल्प देने पर डाक शुल्क भी शुल्क में जोड़ा जाएगा।
- यदि दस्ती संग्रह का विकल्प दिया जाता है, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मिली पावती पर्ची को प्रमाण पत्र लेने के समय छात्र द्वारा सीबीएसई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- जैसे ही सीबीएसई कार्यालय में दस्तावेज छप जायेगा, स्पीड पोस्ट विवरण के साथ पोर्टल पर स्थिति अपडेट कर दी जाएगी।

चूंकि उपरोक्त प्रणाली 100% ऑनलाइन है, इसलिए छात्र क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करने के बजाय डुप्लिकेट दस्तावेज़ जारी करने के लिए केवल ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करें।

इससे सीबीएसई को बेहतर सेवा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

-हस्ताक्षरित-

(डॉ. संयम भारद्वाज)  
परीक्षा नियंत्रक

प्रति : वेब-एडमिन को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए